झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्पलेक्स, मोराबादी, राँची।

प्रवेशिकोत्तर पाठयकमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना वर्ष–2022–23 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वितीय वर्ष–2022–23 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **छात्रवृति के लिए आय की अधिसीमा :–**

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राएँ, जिनके माता–पिता/अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

2. **आवेदन करने की प्रक्रिया :–**

अहर्त्ता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण–पत्रों की **Scanned Copy (jpeg/jpg** में **1mb** तक) वेबसाईट पर अपलोड करेगें :–

(i) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण–पत्र **(Income Certificate)** (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक–01.09.2022 अथवा उस तिथि के बाद से निर्गत आय प्रमाण–पत्र मान्य होगा।)

(ii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र **(Caste Certificate)** (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(iii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र **(Residential Certificate)** (अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति।

(iv) संस्थान के लेटर हेड में संस्थान द्वारा वर्तमान वर्ष के लिए निर्गत **Bonafide Certificate (with Fee Structure** निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति। (एक पृष्ठ में)

(v) पूर्व की परीक्षा के अंकपत्र **(Mark Sheet of previous exam)** की अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) छात्रवृति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र–छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी। (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है।)।

3. **ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:–**

क0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि	21.02.2023	06.03.2023
2.	शैक्षणिक सत्र–2022–23 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि	10.03.2023	17.03.2023
3.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	10.03.2023	18.03.2023

4. **कॉलेज/संस्थान का निबंधन–**

केवल AISHE कोड/U-Dise वाले शैक्षणिक संस्थान/कॉलेज पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए पात्र होंगे।

कॉलेज/संस्थानों के द्वारा ई–कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु affiliation एवं registration का अद्यतन कागजात वेबसाईट पर upload करने की अंतिम तिथि दिनांक–06.03.2023 निर्धारित की गई है। जिन कॉलेज/संस्थानों को NAAC/NBA से प्रमाण–पत्र प्राप्त है, वे कॉलेज/संस्थान NAAC/NBA से प्राप्त प्रमाण–पत्र भी वेबसाईट पर upload करेंगे।

5. **कॉलेज/संस्थान का दायित्व :–**

(I) **संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।**
नोटः– राज्य के अन्दर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके ई–मेल आई0डी0 पर System Generated User Id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान Course Mapping करते हुए Fee Detail भी Update करेंगे जो Student application form में दिखाई देगा, तभी Student Online आवेदन कर सकते हैं।

(II) **संस्थान अपने लेटर हेड में वर्ष–2022–23 में अध्ययनरत छात्र/छात्रा की छात्रवृति हेतु Bonafide Certificate निर्गत करेंगे, जिसमें निर्गत संख्या एवं दिनांक अंकित होगा।**

(III) **संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए Online आवेदन को** https://ekalyan.cgg.gov.in के वेबसाइट पर **अपने User Id एवं Password के माध्यम से** login कर Online **सत्यापित करेंगे। राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय/संस्थान सत्यापन से पूर्व Fee Detail भी Update करेंगे।**

(IV) **निबंधित संस्थान यदि अपने** User Id **एवं** Password भूल गए हों तो पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः User Id **एवं** Password Recover कर सकते हैं।

6. हेल्प लाईनः–

सिर्फ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई–कल्याण के सम्पर्क संख्या–040-23120591/23120592/23120593 पर सम्पर्क कर सकते हैं, एवं e-mail id-helpdeskekalyan@gmail.com पर e-mail कर सकते हैं अथवा https://ekalyan.cgg.gov.in वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

7. नोट :–

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा–निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देश को अवश्य देख लिया जाय।
- उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति स्वीकृति हो सकेगी।
- निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- छात्र/छात्रा को अपना आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।
- एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा।
- ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि/अशुद्धि/गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रदद् कर दिया जायेगा।

सूचना

20/2/23

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांक Reg-13, दिनांक 21-02-23
प्रतिलिपि ① संस्थान सूचना पट एवं वेबसाइट
② छात्रावास छात्र एवं छात्रा सूचना पट
③ छात्रवृत्ति प्रभारी एवं सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राचार्य 21.2.23